भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2605
04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाना

2605. श्री हेमन्त पाटिल:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री खगेन मुर्मु:
श्री रवि किशन:
श्री महाबली सिंह:
श्री भागीरथ चौधरी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और डॉक्टरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर की सीटों को बढ़ाने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को एमबीबीएस और स्नातकोत्तर की संस्थान-वार कितनी सीटें आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या विगत आठ वर्षों के दौरान एमबीबीएस और स्नातकोत्तर की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या एमबीबीएस और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके बाद एमबीबीएस सीटें भी बढ़ाई हैं। मेडिकल कॉलेजों में 82% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 387 की तुलना में बढ़कर अब 704 हो गए हैं। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में 110% की वृद्धि हुई है, जो 2014 से पहले 51,348 की तुलना में बढ़कर अब 1,07,948 हो गई है। देश में चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने और चिकित्सा मानकों में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपायों/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं: -

i. जिला/रेफरल अस्पताल को अपग्रेड करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए सीएसएस, जिसके तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 107 पहले से ही प्रचालनरत हैं।

ii. एमबीबीएस (स्नातक) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना ।

iii. पीएमएसएसवाई योजना के "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 62 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

iv. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।

v. संकाय, कर्मचारियों, बिस्तरों की संख्या और अन्य बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानदंडों में छूट।

vi. संकाय की कमी को पूरा करने हेतु शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।

vii. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रिंसिपल/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्रोजगार के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए “वार्षिक एम.बी.बी.एस. प्रवेश के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं” विनियम, 2020” और “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2000” देश में एमबीबीएस और पीजी सीटों की वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं।

वर्ष 2023-24 के लिए देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-I** में है। शैक्षणिक वर्ष 2015-16 और 2023-24 के लिए उपलब्ध एमबीबीएस और पीजी सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-II** में है।

इसके अलावा, एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत, 5612.25 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत के साथ 77 कॉलेजों में 4677 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि, चरण- I में 72 कॉलेजों में 4058 पीजी सीटें 1498.43 करोड़ रू. की अनुमोदित लागत के साथ और चरण- II में 4461.44 करोड़ रूपये की अनुमोदित लागत से 62 कॉलेजों में 3957 पीजी सीटों के लिए सहायता प्रदान की गई। योजना के तहत अनुमोदित एमबीबीएस और पीजी सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

वर्ष 2023-24 के लिए देश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य**/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**यूजी**		**पीजी**	
		सरकारी सीटें	**निजी सीटें**	**सरकारी सीटें**	**निजी सीटें**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	114	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3235	3200	1853	1670
3	अरूणाचल प्रदेश	50	0	0	0
4	असम	1550	0	738	0
5	बिहार	1615	1050	898	314
6	चंडीगढ़	150	0	584	0
7	छत्तीसगढ	1555	450	475	104
8	दादरा और नगर हवेली	177	0	0	0
9	दिल्ली	1247	250	2901	49
10	गोवा	180	0	135	0
11	गुजरात	4250	2650	2151	724
12	हरियाणा	835	1350	430	456
13	हिमाचल प्रदेश	770	150	264	92
14	जम्मू और कश्मीर	1247	100	605	51
15	झारखंड	730	250	270	0
16	कर्नाटक	3700	7995	1860	4542
17	केरल	1755	2900	1077	840
18	मध्य प्रदेश	2400	2250	1491	861
19	महाराष्ट्र	5025	5720	3562	2481
20	मणिपुर	375	150	255	0
21	मेघालय	50	0	37	0
22	मिजोरम	100	0	0	0
23	ओडिशा	1675	850	725	509
24	पुदुचेरी	380	1450	314	703
25	पंजाब	850	950	408	380
26	राजस्थान	3925	1650	1246	621
27	सिक्किम	0	150	0	34
28	तमिलनाडु	5250	6350	2759	2323
29	तेलंगाना	3890	4650	1492	1484
30	त्रिपुरा	125	100	85	6
31	उत्तर प्रदेश	4303	5400	2275	1894
32	उत्तराखंड	700	450	1570	257
33	पश्चिम बंगाल	3975	1200	1785	295
34	नागालैंड	100	0	0	0

अनुलग्नक-II

शैक्षणिक वर्ष 2015-16 और 2023-24 के लिए उपलब्ध एमबीबीएस और पीजी सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16		2023-24	
		यूजी	पीजी	यूजी	पीजी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	100	0	114	0
2	आंध्र प्रदेश	7150	2913	6435	3523
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	50	0
4	असम	726	416	1550	738
5	बिहार	1450	472	2665	1212
6	चंडीगढ़	100	64	150	584
7	छत्तीसगढ	800	90	2005	579
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	177	0
9	दिल्ली	1073	1203	1497	2950
10	गोवा	150	103	180	135
11	गुजरात	3230	1699	6900	2875
12	हरियाणा	900	342	2185	886
13	हिमाचल प्रदेश	350	159	920	356
14	जम्मू एवं कश्मीर	500	373	1347	656
15	झारखंड	350	187	980	270
16	कर्नाटक	7355	3618	11695	6402
17	केरल	3650	1278	4655	1917
18	मध्य प्रदेश	2100	756	4650	2352
19	महाराष्ट्र	6595	3265	10745	6043
20	मणिपुर	200	123	525	255
21	मेघालय	50	8	50	37
22	मिजोरम	0	0	100	0
23	ओडिशा	1250	558	2525	1234
24	पुदुचेरी	1350	413	1830	1017
25	पंजाब	1295	1054	1800	788
26	राजस्थान	2250	1064	5575	1867
27	सिक्किम	100	22	150	34
28	तमिलनाडु	6115	2605	11600	5082
29	तेलंगाना	0	0	8540	2976
30	त्रिपुरा	200	30	225	91
31	उत्तर प्रदेश	4699	1628	9703	4169
32	उत्तराखंड	600	170	1150	1827
33	पश्चिम बंगाल	2450	1237	5175	2080
34	नागालैंड	0	0	100	0

अनुलग्नक-III

एमबीबीएस (यूजी) और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढीकरण /उन्नत करने के लिए सीएसएस के तहत 2009-10 से अनुमोदित एमबीबीएस और पीजी सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य**/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**अनुमोदित एमबीबीएस सीटें**	**अनुमोदित पीजी सीटें**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0
2	आंध्र प्रदेश	150	1040
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	0	143
5	बिहार	0	314
6	चंडीगढ़	0	48
7	छत्तीसगढ	150	79
8	दादरा और नगर हवेली	0	0
9	दिल्ली	0	0
10	गोवा	0	124
11	गुजरात	270	214
12	हरियाणा	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	120	17
14	जम्मू एवं कश्मीर	60	196
15	झारखंड	100	102
16	कर्नाटक	550	70
17	केरल	0	150
18	मध्य प्रदेश	600	849
19	महाराष्ट्र	700	692
20	मणिपुर	50	0
21	मेघालय	0	0
22	मिजोरम	0	0
23	ओडिशा	200	107
24	पुदुचेरी	0	0
25	पंजाब	100	87
26	राजस्थान	700	1467
27	सिक्किम	0	0
28	तमिलनाडु	345	0
29	तेलंगाना	0	511
30	त्रिपुरा	0	115
31	उत्तर प्रदेश	432	556
32	उत्तराखंड	50	62
33	पश्चिम बंगाल	100	1072